


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 203] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1979/आषाढ़ 2, 1901
No. 203] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

मोबहान और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

अधिसूचना

सा. का. नि. 397 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, काण्डला पत्तन में प्रवेश करने वाले जहाजों को, जिन्होंने कंवल लॉश बजरो का ही लेदान या उत्तरार्द्ध करनी हो, एतद्वारा पत्तन शुल्क से छूट देती है, बशर्ते कि ऐसे लॉश बजरो के लेदान या उत्तरार्द्ध करने वाले मुख्य जहाज द्वारा निर्धारित दर से पत्तन शुल्क दिया जाता हो।

[फा. सं. पी जी आर-29/79(2)]

विंश क,मार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New De'hi, the 23rd June, 1979

NOTIFICATION

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government after consulting the Board of Trustees for the Port of Kandla, hereby exempts the vessels entering the Port of Kandla only for discharging or loading LASH barges from payment of port dues subject to the condition that port dues at prescribed rates are paid by the *mother ships discharging or loading such LASH barges.*

[F. No. PGR-29/79(ii)]

D. K. JAIN, Jt. Secy.